भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3426
गुरुवार, 20 मार्च, 2025 (29 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर
राष्ट्रीय नागर विमानन नीति

3426. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी) शुरू की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यात्रियों की संख्या में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास और लागत में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एनसीएपी के मुख्य उद्देश्य और प्रावधान क्या हैं;

(ग) एनसीएपी के तहत भारत को वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने और मार्च 2025 तक राष्ट्रीय एयर कार्गो नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) 2016 में एनसीएपी की शुरुआत के बाद से इसके कार्यान्वयन की क्या उपलब्धियां और चुनौतियां रही हैं; और

(ङ) देश में विमानन क्षेत्र तथा क्षेत्रीय संपर्क को और सुदृढ़ बनाने के लिए एनसीएपी के तहत भविष्य में क्या पहल प्रस्तावित है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख) राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी–2016) को एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने, यात्री यातायात में वृद्धि करने तथा सुरक्षित, किफायती और वहनीय हवाई यात्रा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। एनसीएपी–16, अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने का प्रयास करती है।

(ग) एनसीएपी-2016 के कार्यान्वयन चरण के दौरान, भारत के विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन में भारतीय वाहकों की हिस्सेदारी 2019 में 36% से बढ़कर 2024 में 47% हो गई है। एनसीएपी -16 के कार्यान्वयन से पहले 2014 में भारतीय वाहकों के पास 25 देशों के लिए सीधे मार्ग थे, जो बढ़कर 35 देशों तक पहुँच गए हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित संचालन के लिए विमानों की कुल संख्या 2014 में 400 से बढ़कर 31 दिसंबर, 2024 तक 834 हो गई है, जिसमें प्रमुख एयरलाइनों के ऑर्डर आगे विस्तार का संकेत देते हैं। भारतीय वाहकों के लिए सहायक नीतियों को बनाए रखते हुए, भारत ने वैश्विक विमानन केंद्रों के विकास के लिए आवश्यक रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय मार्गों को सुरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

(घ) और (ड.) राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति (एनसीएपी) 2016 में परिकल्पित उड़ान योजना मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाईअड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है। इस योजना के तहत, 88 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 625 आरसीएस मार्गों को अब तक चालू किया गया है, जिसमें 13 हेलीपोर्ट और 2 वॉटर एरोड्रोम शामिल हैं। आरसीएस-उड़ान के माध्यम से यात्रा करने वाले कुल घरेलू यात्रियों की संख्या 149 लाख से अधिक है, जो 2.97 लाख आरसीएस उड़ानों से जुड़े हैं। उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर परिचालन को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा, देश भर में सुरक्षित, कुशल और वहनीय सीप्लेन परिचालन के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

एनसीएपी-2016 का उद्देश्य अंततः सुरक्षा और दक्षता से समझौता किए बिना क्षेत्रीय संपर्क, बुनियादी ढांचे के विकास कम लागत पर कुशल कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है। इसके अलावा भविष्य में सभी हवाई अड्डों पर टैरिफ हाइब्रिड टिल के आधार पर होगा। एनसीएपी-2016, एमओसीए, मौजूदा और भविष्य के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को उदार बनाकर हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवंटित भूमि की क्षमता को अनलॉक करने के तरीकों की खोज करना चाहता है। एनसीएपी-2016 हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा के न्यूनतम स्तर और मानक को सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों के भविष्य के रियायतों/विकास के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एनसीएपी-2016 के तहत, भविष्य के हवाईअड्डे/हेलीपोर्ट परियोजनाओं में एमआरओ सेवा प्रदाताओं के लिए एमआरओ की क्षमता के आधार पर पर्याप्त भूमि का प्रावधान करना आवश्यक है।

सरकार ने हाल ही में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों की सेवा करने के लिए उड़ान योजना को संशोधित किया है। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी।

******